न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

नवान रघुनाराम बनाम धोयली आदि

मुकदमा नं. 73/2022

15/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पत्रावली पर बहस प्रार्थी से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/10/22 को पेश हो।
17/10/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस पर मनन किया। समस्त पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। मिसल व डिक्री नक्शा के विभाजन अनुसार जारी हो। पत्रावली फैसल किया गया। पत्रावली के मय दफ्तर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:11:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 73/2022

सुण्डाराम पुत्र गणेशराम उम्र 70 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर
–वादी

बनाम

01. कोयली पत्नी तुलछाराम
02. प्रेमाराम पुत्र तुलछाराम
03. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम
04. रामकिशोर पुत्र तुलछाराम
    समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम टाटनवां तहसील धोद जिला सीकर
05. तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर
06. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा धोद तहसील धोद जिला सीकर
07. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कृषि उपज मण्डी, तहसील सीकर जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
01. श्री राजेश चौधरी, एड. वकील वादी की ओर से
02. श्री हरीश कुमार शर्मा, एड. वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 17.10.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम टाटनवां पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 238 रकबा 7.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 31 रकबा 0.6000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 7.8300 हेक्टेयर के विभाजन के संबंध में तहसीलदार, धोद को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 30.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. /2025/1637 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। बहस उभयपक्ष से सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित उभयपक्ष के अभिभाषकगण उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि का बंटवारे की अंतिम डिक्री तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1637 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम टाटनवां पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 238 रकबा 7.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 31 रकबा 0.6000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 7.8300 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	सुण्डाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवंशी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृ.उ.म.स. सीकर	238 मिन	3.8900	बारानी–2
	योग	किता 1	3.8900	–
2	कोयली पत्नी तुलछाराम हि. 1/4 प्रेमाराम रामकिशोर पुत्रगण तुलछाराम हि. 1/2 हि.ब. राहिन बी.आर.के.जी. बी. शाखा धोद भंवरलाल पुत्र तुलछाराम हि. 1/4 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा नेतड़वास जाति मेघवंशी सा.देह	238 मिन 31	3.2900 0.6000	बारानी–2 बारानी–2
	योग	किता 2	3.8900	–
3	कोयली पत्नी तुलछाराम हि. 1/8 आदि जमाबंदी अनुसार समस्त जाति मेघवंशी सा.देह	238 मिन	0.0500	गै.मु.रास्ता

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1637 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:11:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

सुण्डाराम

बनाम

कोयली आदि

मुकदमा सं.– 73/2022 — दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक– 17.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री राजेश चौधरी, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री हरीश कुमार शर्मा, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1637 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम टाटनवां पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद, जिला सीकर में स्थित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 238 रकबा 7.2300 हेक्टेयर, खसरा सं. 31 रकबा 0.6000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 7.8300 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	सुण्डाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवंशी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृ.उ.म.स. सीकर	238 मिन	3.8900	बारानी–2
	योग	किता 1	3.8900	–
2	कोयली पत्नी तुलछाराम हि. 1/4 प्रेमाराम रामकिशोर पुत्रगण तुलछाराम हि. 1/2 हि.ब. राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा धोद भंवरलाल पुत्र तुलछाराम हि. 1/4 राहिन बी. आर.के.जी.बी. शाखा नेतड़वास जाति मेघवंशी सा.देह	238 मिन 31	3.2900 0.6000	बारानी–2 बारानी–2
	योग	किता 2	3.8900	–
3	कोयली पत्नी तुलछाराम हि. 1/8 आदि जमाबंदी अनुसार समस्त जाति मेघवंशी सा.देह	238 मिन	0.0500	गै.मु.रास्ता

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1637 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

यह आज तारीख 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर फीस साक्षियों के निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 14:11:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner